न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
004/2021	**11.01.2021**	**17.02.2021**

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. मयूर जैन पुत्र प्रकाश चन्द जैन (विक्रेता/एफ.बी.ओ.) फर्म सुनिल कुमार मयूर कुमार जैन, लाल–बाई फूल–बाई चौक बैगूं जिला चित्तौड़गढ़ राज.
   स्थाई निवास :– वार्ड नं0 21, चेची रोड़ बैगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) पिनकोड – 312023
2. विनोद कुमार तोषनीवाल पुत्र रामेश्वर लाल (प्रोपरायटर) फर्म/मैसर्स विनोद कुमार रामेश्वर लाल ग्राम हलेड, जिला भीलवाडा राज.
   स्थायी निवास : – सुन्दरम् रिसोर्ट के पास, हरणी महादेव रोड, ज्योति नगर, भीलवाडा

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदनलाल गूजर ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी टोंक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहे हूँ और इनका गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग 2(क) के क्रमांक 53 पर अंकित है, जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/818/21.10.2020 के अनुसार विशेष अभियान शुद्ध के लिये युद्ध अभियान दिनांक 26.10.2020. से

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.11.2020 तक आयोजित करने के सम्बन्ध में इनका कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2020 को समय 02:19 पी.एम. पर कस्बा बैगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) में जिला कलक्टर महोदय द्वारा गठित सयुक्त जांच दल के साथ मैसर्स सुनिल कुमार मयूर कुमार जैन लाल–बाई फूल–बाई चौक बैगूं जिला चित्तौड़गढ़ पर पहुंचे वहां पर मयूर जैन उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर मयूर जैन ने स्वंय को मैसर्स सुनिल कुमार मयूर कुमार जैन लाल–बाई फूल–बाई चौक बैगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र बताया जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मयूर जैन की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि में आम जनता को विक्रय करने हेतु गुड, तेल, घी, मसाले, चाय खुली आदि के साथ तिल साबुत जय अम्बे ब्राण्डपॉली पैक (**Sesame Seed Whole Jai Ambe Brand Poly Pack**) जिसके बैच नं0 2 व पैंकिग दिनांक अनुपस्थित थी, दुकान में 1–1 किलोग्राम के 8 नग पॉली पैक वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये, में को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो मयूर जैन को फार्म नं. **V A Form** दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ.बी.ओं. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ. मयूर जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह तिल साबुत जय अम्बे ब्राण्डपॉली पैक (**Sesame Seed Whole Jai Ambe Brand Poly Pack**) को वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय कर रहा हूँ, दुकान में तिल साबुत जय अम्बे ब्राण्डपॉली पैक रखे हुये 8 नग में से 1–1 किलोंग्राम के ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड 4 मूल पैक तिल साबुत जय अम्बे ब्राण्ड पॉली पैक का चयन किया एवं वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मयूर जैन को उनके माँग अनुसार बाजार भाव से रू0 400/– अक्षरे चार सौ रुपये मात्र नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा व चयन शुदा 1–1 किलोग्राम के नग कुल मात्रा में किलोग्राम तिल साबुत जय अम्बे ब्राण्डपॉली पैक (**Sesame Seed Whole Jai Ambe Brand Poly Pack**) को मयूर जैन एवं गवाहान को दिखाकर उक्त को 1–1 किलोग्राम मूल पैक को बराबर–बराबर (प्रत्येक भाग मे 1–1 पैकेट कुल मात्रा 1 किलोग्राम) अलग–अलग ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड चयन कर चार अलग–अलग

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर, डिब्बों के ढक्कन को एयरटाईट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **AM-1228** एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता मयूर जैन तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर पत्येक भाग पर डी.ओ. चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. **AM-1228** नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्म रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मयूर जैन ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये मौके पर तैयार सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लिये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया, दो फार्म सं. 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को नमूना का एक तैयार शुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया व शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं 6 की एक प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा करवाने हेतु तैयार किये एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा करवाया एवं डी.ओ. एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने रोशनलाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 31.10.2020 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को तैयार शुदा नमूना व संबंधित दस्तावेज जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है, नमूने के शेष 2 भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 31.10.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मौके पर तिल साबुत जय अम्बे ब्राण्डपॉली पैक का नमूना क्रय करते समय मयूर जैन पुत्र प्रकाश चन्द जैन मालिक मैसर्स सुनिल कुमार मयूर कुमार जैन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लाल–बाई फूल–बाई चौक बैगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स विनोद कुमार रामेश्वर लाल ग्राम हलेड जिला भीलवाड़ा का खरीद बिल/इन्वॉइस नं0 22 दिनांक 23.10.2020 प्रस्तुत कर खाद्य पदार्थ तिल साबुत जय अम्बे ब्राण्डपॉली पैक क्रय करना बताया है जिसकी छाया प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4569 दिनांक 05.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोट सं. एल0एस0/231/एक्ट /2020/240 दिनांक 01.11.2020 के अनुसार एफ.बी.ओ मयूर जैन से मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया तिल साबुत जय अम्बे ब्राण्डपॉली पैक (**Sesame Seed Whole Jai Ambe Brand Poly Pack**) एफ.एस. एस.ए.की धारा **3(1)(zx)** का उल्लघंन करने के कारण अवमानक (**Sub-Standard**) व एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i)** का उल्लघंन करने के कारण मिथ्याछाप (**Mis-Branded**) स्तर का होना पाया गया। जिसकी जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। जिसकी सूचना मयूर जैन पुत्र प्रकाश चन्द जैन मालिक मेसर्स सुनिल कुमार मयूर कुमार जैन लाल–बाई फूल–बाई चौक बेंगूं जिला चित्तौड़गढ़ व प्रबंधक मैसर्स विनोद कुमार रामेश्वर लाल ग्राम हलेड जिला भीलवाडा को मय रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी थी, जिसकी रजिस्ट्री रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी में मैसर्स विनोद कुमार रामेश्वर लाल ग्राम हलेड जिला भीलवाडा को पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/427 दिनांक 25.11.2020 व पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/484 दिनांक 21.12.2020 प्रेषित कर उक्त फर्म से सम्बन्धित दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रति उत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से सम्बन्धित खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजि. व प्रोपरायटर के आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त फर्म का प्रोपरायटर विनोद कुमार तोषनीवाल को होना बताया। प्रेषित दस्तावेज न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा प्रकरण से सम्बधित अनुसंधान पूर्ण होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ के समक्ष न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन स्वीकृति चाहने बाबत दिनांक 31.12 2020 को पत्रावली प्रस्तुत की, अभिहित अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं 2011 की धारा 36 की उप धारा 3(ड.) के तहत समस्त पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/50 दिनांक 05.01.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण में अंकित अभियुक्तों के विरुद्ध न्याय निर्णयन आवेदन न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष पेश/प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है। अतः में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि अभियुक्तगणों ने खाद्य पदार्थ तिल साबुत जय अम्बे ब्राण्डपॉली पैक (**Sesame Seed Whole**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Jai Ambe Brand Poly Pack) को अवमानक (**Sub-Standard**) व मिथ्याछाप (**Mis-Branded**) स्तर का बनाकर विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (**ii**) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 मे निर्धारित है। अतः उपरोक्त न्याय निर्णयन आवेदन श्रीमान के समक्ष जिसे स्वीकार किया जाकर अभियुक्तगणों को दण्डित किये जाने का आदेश प्रदान किये जावें।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 10.02.2021 को अप्रार्थी स्वयं 2 हाजिर आया एवं जवाब परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कार्यवाही की गई है उसमें खाद्य पदार्थ जो जांच में सब–स्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी के पूर्व में किसी भी जांच में खाद्य पदार्थ पूर्ण गुणवत्तापूर्ण पाये गये। यह प्रथम जांच है जिसमें अप्रार्थी का खाद्य पदार्थ सब–स्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी की आजीविका को एकमात्र साधन उक्त व्यवसाय ही है एवं अप्रार्थी छोटा व्यापारी है इसके साथ ही अप्रार्थी का प्रथम दोष है अतः अप्रार्थी को माफ कराया जावें। अप्रार्थी न्यायालय के समक्ष अपनी वचनबद्धता देता है कि अप्रार्थी भविष्य में नियमानुसार एवं विधि अनुसार कार्यवाही कर अपना व्यवसाय करेगा। अप्रार्थी की और से प्रस्तुत जवाब परिवाद शामिल पत्रावली है। दिनांक 17.02.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 की और से जवाब परिवाद प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त खाद्य पदार्थ के निर्माता नहीं होकर केवल मात्र विक्रेता है जो कि निर्माता से पैक्ड खाद्य पदार्थ क्रय कर विक्रय करते है। यह कि अप्रार्थी संख्या 1 की खाद्य पदार्थ के मिसब्राण्ड पाये जाने पर कोई जवाबदेहिता नहीं होती है क्योंकि उक्त खाद्य पदार्थ के अप्रार्थीगण संख्या 1 निर्माता नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावें। जवाब परिवाद शामिल पत्रावली है।

विपक्षीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। इस पर हाजिर विपक्षी को सुना गया। विपक्षीगण ने जवाब परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं माफ किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपना कथन समाप्त किया। भविष्य में और भी सावधानी पूर्वक काम करूगा। इसी ईश्तदुआ के साथ अप्रार्थी ने अपना कथन समाप्त किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकारी द्वारा प्रस्तुत फार्म नंबर 5 ए की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को तिल साबुत जय अम्बे ब्राण्डपॉली पैक (**Sesame Seed Whole Jai Ambe Brand Poly Pack**) लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि नमूना खरीद बिल से होती हैं, उस पर गवाहान की शहादत है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया मौका फर्द का अवलोकन किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1228** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट है एवं प्रकरण में और किसी भी प्रकार से अतिरिक्त शहादत की आवश्कता प्रतीत नहीं होती है, हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 231/Act 2020/240 Dated 01-11-2020** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Report No LS 231/Act 2020/240

Certified that I **RAVI SETHI** duly appointed as under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34of 2006) for RAJASTHAN STATE received from **Dr. Madan Lal Gujar** Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of **Til whole (Jay Ambe Sasame Whole**) bearing code no, and serial no. **AM-1228** of **Designated officer** (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of **District Chittorgarh** on 31.10.2020 for analysis.

The condition of scals on the container and the outer covering on receipt was as follows **Brass Seal No 53** Intact and unbroken. The scals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.

I found the sample to be **Cereals & Cereal Products** (Food grains) falling under Regulation No. **2.4.6.15 Til Whole of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011**. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on **31.10.2020** to **01.11.2020** and the result of its analysis is given below

ANALYSIS REPORT

(i) Sample description - The sample packed in plastic pet box having original company plastic poly pack of 1 kg.

(ii) Physical appearance:- Sound grains.

(iii) Label :- Brand- Jay Ambe, Name of food- Til Sesame Whole, Green Veg. Symbol-Present, Ingredient- Present, Batch no.- 2. **Pkd. by- M/S Vinod Kumar Rameshwarlal At. Haled, Bhilwara. (In completed address) Pkd. on.- Absent. Best before within 12 Months from the date of packaging, but not as per regulation no. 2.2.2(6),(9)&(10)**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Food Safety and Standards(food products standards and food additives) Regulations 2011., Fssai Lic. No.- Absent on the label Contravention to Regulation 26(2)(ii)(v) & 31(i) of Food Safety & Standards Act 2006.

Opinion:- The sample of **Til whole (Jay Ambe Sasame Whole)** Bcaring code no. and serial no. AM- 1228 of Designated Officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh **is misbranded food. The sample is misbranded food under section 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006**.
-**The sample is sub-standard as Mineral matter by weight is does not meet as per the prescribed standards & Provisions as per Food Safety and Standards(food products standards and food additives) Regulations 2011.**
The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006.
Written on label primary food violation of section 3(1)(zk) of the Food Safety and Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप **AM-1228** उक्त खाद्य खाद्य पदार्थ तिल साबुत जय अम्बे ब्राण्डपॉली पैक (**Sesame Seed Whole Jai Ambe Brand Poly Pack**) एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zx)** का उल्लघंन करने के कारण अवमानक (**Sub-Standard**) एवं एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i)** का उल्लघंन करने के कारण मिथ्याछाप (**Mis-Branded**) का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने सब स्टेन्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड तिल साबुत जय अम्बे ब्राण्डपॉली पैक (**Sesame Seed Whole Jai Ambe Brand Poly Pack**) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है। इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगणों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 मयूर जैन पुत्र प्रकाश चन्द जैन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विक्रेता/एफ.बी.ओ.) फर्म सुनिल कुमार मयूर कुमार जैन, लाल–बाई फूल–बाई चौक बैगूं जिला चित्तौड़गढ़ राज. स्थाई निवास :– वार्ड नं० 21, चेची रोड़ बैगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) पिनकोड – 312023 एवं अप्रार्थी संख्या 2 विनोद कुमार तोषनीवाल पुत्र रामेश्वर लाल (प्रोपरायटर) फर्म/मैसर्स विनोद कुमार रामेश्वर लाल ग्राम हलेड, जिला भीलवाडा राज. स्थायी निवास : – सुन्दरम् रिसोर्ट के पास, हरणी महादेव रोड, ज्योति नगर, भीलवाडा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत उक्त दोष सिद्ध अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51–52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51–52 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.
While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-
(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.
Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

52. Penalty for misbranded food.
(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.
(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त संख्या 1 श्री मयूर जैन पुत्र प्रकाश चन्द जैन (विक्रेता/एफ.बी.ओ.) फर्म सुनिल कुमार मयूर कुमार जैन, लाल–बाई फूल–बाई चौक बैगूं जिला चित्तौड़गढ़ राज. स्थाई निवास :– वार्ड नं0 21, चेची रोड़ बैगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) पिनकोड – 312023 को 15000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपयें एवं अभियुक्त संख्या 2 श्री विनोद कुमार तोषनीवाल पुत्र रामेश्वर लाल (प्रोपरायटर) फर्म/मैसर्स विनोद कुमार रामेश्वर लाल ग्राम हलेड, जिला भीलवाडा राज. स्थायी निवास : – सुन्दरम् रिसोर्ट के पास, हरणी महादेव रोड, ज्योति नगर, भीलवाडा को 20000/– अक्षरे बीस हजार रूपयें अर्थात् कुल 35000/– अक्षरे पैंतीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>17.02.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:27:26 IST
Reason: SelfAttested